

आदेश

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत - 2022 गढ़ी पर मजमें आम पेश
हुई। तहसीलदार अरथूना की रिपोर्ट पर खातेदार का नाम परमेश पुत्र कपरा के स्थान पर
परमेश पुत्र कपरा करने के आदेश दिये जाते हैं।

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमान शिविर प्रमोद मेहोदय
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा
राष्ट्रीय लोक अदालत
2022 गढ़ी

भाषा

तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर शुद्धि भाषा जारी
किया जा कर पत्रावली कुशल सुमार कर वास्तविक दस्त हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

